



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13082020-221121
CG-DL-E-13082020-221121

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2415]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 11, 2020/श्रावण 20, 1942

No. 2415]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 11, 2020/SRAVANA 20, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अगस्त, 2020

का.आ. 2721(अ).—केन्द्र सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 जी

की उपधारा (5) के अनुसरण में, नीचे दी गयी सारणी के कॉलम (2) में उल्लिखित अधिकारी को, भारत के राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए, उक्त उपधारा के प्रयोजन के लिए इतद् द्वारा मध्यस्थ नियुक्त करती है जो उक्त सारणी के कॉलम (3) और (4) में यथा-विनिर्दिष्ट अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के अंतर्गत उक्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके तहत मध्यस्थ को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा और सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करेगा। मध्यस्थ द्वारा पंचात करते समय इस अधिनियम की 3 जी की उपधारा (6) और (7) को ध्यान में रखा जाएगा।

सारणी

क्रम संख्या	अधिकारी का नाम	राजस्व जिला	राज्य
1.	2.	3.	4.
1.	श्री आर.एल. रिनाव्मा, भारतीय राजस्व सेवा (सेवानिवृत्त)	आइज़ॉल, सेरछिप, लुंगलेई, लांवगतलाई, साइहा, हनाथियाल, सैतुल	मिजोरम

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/मिजोरम/आर्बिट्रेटर/2020-21]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th August, 2020

S.O. 2721(E).— In pursuance of sub-section (5) of Section 3G of the National Highways Act, 1956(48 of 1956), the Central Government hereby appoints the Officer mentioned in column (2) of the Table below, to be Arbitrator, for a period of one year from the date of publication of notification in the Gazette of India, for the purposes of the said sub-section who shall exercise the powers conferred and perform the duties imposed, on an Arbitrator by or under the said Act within the local limits of their respective jurisdiction as specified in column (3) and (4) of the said Table. Sub-Section (6) & (7) of Section-3G of the Act shall be taken into consideration while passing awards by the Arbitrator.

TABLE

Sl. No.	Name of the Officer	Revenue District	State
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mr. R. L. Rinawma, IRS (Rtd.)	Aizawl, Serchhip, Lunglei, Lawngtlai, Saiha, Hnathial, Saitul	Mizoram

[F. No. NHIDCL/MIZORAM/ARBITRATOR/2020-21]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.